4. **विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना -** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. **अर्हकारी अंक -** (1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3, भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा.

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;
(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. **विस्तार -**

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) बोर्ड, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. 468, भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2013, संशोधन परिपत्र क्र. 74, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015, क्र. 416, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं क्र. 06, दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है।** विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स.क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-4	समूह-4 के अन्तर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023	तृतीय श्रेणी

8. **परीक्षा का आयोजन -** ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा **समूह-4** के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् – **तालिका**

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
1.	समूह-4	01	100	सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरूचि	100

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा ।

9.1.1 सहायक वर्ग-3, स्टेनोटायपिस्ट/आशुलिपिक, शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आई.टी. ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

(क) अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ख) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक सी-3-8/2013/1/3 दिनांक 01 जुलाई 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी-3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26/02/2015, सी-3-07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015, सी/3-5/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 27.07.2016, सी-3-15/2014/1-3, भोपाल, दिनांक 24/01/2017, सी-3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 04/07/2017 एवं सी-3-07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 10/08/2018 के अनुसार :-

A. निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था/वि.वि. से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है :-

(क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
(ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.
(घ) शासकीय पोलिटेकनिक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स
(ड) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण-पत्र.
(श्र) राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (S.C.V.T.) म.प्र. द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र

उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-
उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई. (सी.एस.ई/आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस)/बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस)/ एम.टेक./एम.सी.ए./एम.ई. इत्यादि।

अथवा

ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालॉजी।

टीप:- बी.एस.सी./बी.कॉम./अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।

B. मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रति मिनिट एवं/अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण हो ।

C. विभिन्न विभागों के ऐसे पद, जिनके भरती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कम्प्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिय Computer Proficiency Cetrification Test- (CPCT) परीक्षा के माध्यम से अर्ह Score Card धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT Score Card के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर /आई.टी. से संबंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदों के लिए भरती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भरती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था ही लागू होगी।

D. विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर/आई.टी. ऑपरेटर/सहायक ग्रेड-3/शीघलेखक/स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद, जिनके लिए भरती नियमों में कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा-A में किया गया हे, के अलावा CPCT Score Card धारित करना भी अनिवार्य होगा। शेष अर्हताऐं यथावत रहेंगी।

E. विभागों द्वारा आई.टी. दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आई.टी. की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डाटा एन्ट्री–सह कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है।

(ग) हिन्दी शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त 'ए' एवं 'बी' के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो । अंग्रेजी शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त 'ए' एवं 'बी' के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो । आशुलिपिक/स्टेनोटायपिस्ट के लिए उपरोक्त 'ए' एवं 'बी' के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

9.1.2 अन्य पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि बोर्ड का।

9.3 **आयु सीमा -** उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** अर्थात 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी :

नोट- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाऐं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अत: अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है.

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 48 वर्ष (संविदाकर्मी को छोड कर) से अधिक नहीं होगी।

9.4 (1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना 01 **जनवरी** 2023 से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी.**3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 **एवं सी** 3-8/2016/1/3 **भोपाल दिनांक** 04 **जूलाई** 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	**भर्ती का तरीका**	**लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए**
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**18 से 40**
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछ्ड़ा वर्गए शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	**18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)**

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा । आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन से मान्य/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

9.4 (2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाऐं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अत: अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है.

9.5 **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-**

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु 48 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्र. 14 में दिए वर्गों को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्परष्टीकरण</u> :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषो के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छा.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।